

भाग III

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 3 जुलाई, 2007

संख्या का० आ० 56/ह० अ० 6/2003/धा० 59/2007.—हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6), की धारा 59 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या वैब 3/ह० अ० 6/2003/धा० 59/2007, दिनांक 16 मई, 2007, के प्रति निर्देश से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची ख में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003, (2003 का अधिनियम 6) में, अनुसूची ख में, क्रम संख्या 55 तथा उसके सामने प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जायेगी तथा 28 अप्रैल, 2007 से प्रतिस्थापित की गई समझी जायेगी, अर्थात् :—

“55. बीड़ी तथा बीड़ी और हुक्का में प्रयुक्त कतरा हुआ तम्बाकू।”।

एल० एस० एम० सालिन्स,

वित्तियुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,

आबकारी तथा कराधान विभाग।